

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग-491001

क्र. 153 दि. 29/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/154
दिनांक 20.05.2026

Shri Chandresh Kumar Thakur,
Nehru Nagar, Bhilai
बी.पी. नं. 1003720652,
मो नं. 7999291824

आवेदक

विरुद्ध

1. EE(City-W) Division Bhilai
2. A.E. Nehru Nagar Zone

अनावेदकगण

विषय :- उपभोक्ता के तीन फेज विद्युत कनेक्शन में केवल एक फेज विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने तथा शिकायत के निराकरण नहीं होने के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 29.05.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में उल्लेख किया गया कि उनके नेहरू नगर स्थित तीन फेज विद्युत कनेक्शन (बी.पी. क्रमांक 1003720652) में केवल एक फेज विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में विभाग को शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ,

फोरम द्वारा उक्त शिकायत को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/154 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई आरंभ की गई।

प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 को संपन्न हुई। सुनवाई के दौरान आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदक की ओर से सहायक अभियंता, नेहरू नगर जोन उपस्थित हुए।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन के अनुसार आवेदक ने दिनांक 08.05.2026 को ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके विद्युत कनेक्शन में केवल एक फेज की आपूर्ति उपलब्ध हो रही है।

अनावेदक ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई तथा दिनांक 09.05.2026 को ही आवेदक के शिकायत का निराकरण कर दिया गया था

फोरम द्वारा उपभोक्ता से दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत की स्थिति की पुष्टि की गई।

आवेदक ने अवगत कराया कि उनकी शिकायत का निराकरण दिनांक 09.05.2026 को ही कर दिया गया था तथा वर्तमान में उनके विद्युत कनेक्शन में तीनों फेजों में नियमित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है। आवेदक ने विभाग द्वारा किए गए निराकरण पर संतोष भी व्यक्त किया।

2. फोरम का निष्कर्ष

फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं अनावेदक के कथनों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि शिकायत दर्ज होने के अगले ही दिन विभाग द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए तीनों फेजों की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई तथा इसकी पुष्टि स्वयं आवेदक द्वारा भी की गई है।

अतः यह स्पष्ट है कि शिकायत का मूल कारण समाप्त हो चुका है तथा वर्तमान में कोई विवाद शेष नहीं है।

3. आदेश

1. चूँकि आवेदक की शिकायत का विभाग द्वारा दिनांक 09.05.2026 को निराकरण कर दिया गया है तथा आवेदक ने भी उक्त कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है, अतः यह प्रकरण निराकृत किया जाता है।

2. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की फेज फेल्योर अथवा विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों का निराकरण उपभोक्ता सेवा मानकों के अनुरूप

यथाशीघ्र सुनिश्चित करें तथा शिकायत के निराकरण की सूचना उपभोक्ता को समय पर उपलब्ध कराएं।

3. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।


(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग


(पी. व्ही. संजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग